निर्माण IAS निर्माण IAS

27 April The Hindu Competing for the best

संदर्भ

• भारत में वैश्विक संकाय या शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। दशको से भारत के शिक्षाविदों का प्रवाह दूसरे देशों में हो रहा हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों हॉवर्ड बिजनेस स्कूल और अन्य में शीर्ष भारतीय प्रतिभाएं मिल जाती हैं। प्रतिभा के इस प्रवाह ने भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षाविदों की उपलब्धता को प्रभावित किया है।

- इस 'ब्रेन ड्रेन' को रोकने के लिए सरकार द्वारा 'ग्लोबल इनिश्एिटव ऑफ एकेडिमक नेटवर्क '(GIAN), विजिटिंग एडवांस्ड जांइट रिसर्च फैक्ल्टी स्कीम (VAJRA) और स्कीम ऑफ एकेडिमिक प्रमोशन जैसे कार्यक्रम पेश किए गए।
- सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों में 20 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय संकाय को आकर्षित करने का था लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में 4400 संकायो में से सिर्फ 40 विदेशी शिक्षक हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रेडेड ऑटोनॉमी विनियम भी अब उच्चतम प्रदर्शन वाले विश्वविद्यालयों को 20 प्रतिशत विदेशी संकायों को नियुक्त करने की अनुमित देता है।
- उच्च शिक्षा में मौजूदा संरचना के कई पहलुओं में बदलाव किए बिना भारत के लिए बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसरों को आकर्षित करना मुश्किल होगा। इसके एक घटक के रूप में आकर्षित निधि या सैलेरी की आवश्यकता होगी।
- दो प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों पर विचार किया जाना चाहिए पहली श्रेणी वरिष्ठ प्रोफेसरों की है जिनको लुभाना मुश्किल होता है क्योंकि वे अपने कैरियर में स्थापित होते हैं तथा आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय वेतन अन्य सुविध एं के साथ कार्य कर रहे होते है दूसरा समूह युवा विद्वानों का हैं, जिन्हें हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अनुसंधान प्रदान नहीं कर पाते हैं।
- भारतीय शिक्षाविद्व जिनका विदेश में सफल कैरियर है उन्हें वापिस बुलाने के लिए किए जाने वाले प्रयास नाकाफी है।
- एक अन्य कारण असुर<mark>क्षित जॉब है, अंतर्राष्ट्रीय संकाय को भारतीय संस्थानों द्वा</mark>रा दीर्घकालिक नियुक्ति की पेशकश नहीं की जाती है।
- अनुसंधान करने हेतु वित्त की अनुपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपलब्ध संसाधन काफी सीमित है।
- दूसरी ओर कुछ निजी उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे ओपी जिंदल, अजीम प्रेमजी, और प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद स्कूल ऑफ बिजनेस ने अलग-अलग रणनीतिया अपनाई। जैसे विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने के लिए, उच्चतर वेतन और अन्य लाभो तथा सुविधाओं की उपलब्धता प्रदान की।
- उदाहरण के लिए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में 32 देशों के 71 पूर्णकालिक विदेशी फैकल्टी हैं। इन सभी संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार और वैश्विक रैंकिंग में सुरक्षित स्थान प्राप्त किया है तथा अधिक विदेशी छात्रों को आकर्षित किया। आवश्यकता है कि निजी संस्थानों द्वारा अपनाए गए मानकों पर विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए।
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता भारतीय सरकार की हालिया पहल (GIAN) ग्लोबल इनिश्एिटव ऑफ एकेडिमक नेटवर्क जो देश में उच्च शिक्षा के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों से वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क की पहल है, तािक सहयोगात्मक अनुसंधान का विकास किया जा सके।
- भारतीय और अन्य क्षेत्रीय सरकारों द्वारा प्रायोजित दो प्रमुख विश्वविद्यालयों दिल्ली विश्वविद्यालय और बिहार

निर्माण IAS

में नालंदा के अनुसार उच्च वेतन की पेशकश तथा कराधान से छूट देने के बाद भी विदेशी शिक्षाविदों को आकर्षित करने में बहुत सफल नहीं रहे।

• भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल होने और शीर्ष शिक्षकों को लुभाने के लिए संरचनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन 'सांस्कृतिक क्रांति' की आवश्यकता होगी।

अन्य चुनौती

- भारतीय शैक्षणिक वेतन वैश्विक रूप में प्रतिस्पर्धी नहीं है,। चीन व अमेरिका भारत के मुकाबले बहुत आकर्षक वेतन व जीवन स्तर सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- सुधार हेतु विदेशी शिक्षाविदों को आकर्षित किया जाए इसके लिए भारतीय उच्च शिक्षा के वातावरण में आने वाली चुनौतियां जैसे आधारभूत संरचना की कमी को दूर किया जाए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- वैश्विक स्तर पर भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए यह बताए कि क्या भारतीय परिवेश ब्रेन ड्रेन के साथ विदेशी शिक्षाविदों को <mark>आकर्षित</mark> करने में असफल रहा है। चर्चा कीजिए।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस-2019

संदर्भ:- बौद्धिक संपदा दिवस-2019 विश्व भर में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों व मानकों का विकास एवं अनुप्रयोग इस संगठन की गतिविधियों का मूलभूत अंग है।,

- हम जो कुछ भी अपने दिमाग से नई रचना करते हैं उस रचना को कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो ये हमारे अधिकारों का हनन है खासकर हमारी बुद्धि से बनी उस रचना का। जब दुनिया में ये बहस तेज हुए कि कैसे बौद्धिक संपदा की रक्षा की जाए तो इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन हुआ। इसके बाद लोगों में बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों का महत्व समझाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने का फैसला किया गया और 26 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाने लगा।
- बौद्धिक संपदा में मानव बुद्धि से निर्मित अमूर्त रचनांए शामिल है जैसे- कॉपीराइट पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन और ट्रेडमार्क शामिल है। इसमें ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल है।

उद्देश्य:- विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों (पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट) की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा विश्व भर में बौद्धिक सम्पदा के अधि कारों की रक्षा के लिए कार्य करना है।

- वर्तमान में इस संस्था में कुल 188 देश शामिल हैं। भारत भी इसका सदस्य है।
- 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय- **रीच फॉर गोल्ड: आईपी एंड स्पोर्ट्स (Reach for Gold: IP and Sport**) है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के बारे में:

- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है।
- इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- डब्ल्यूआईपीओ बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिये विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है।

निर्माण IAS

- 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था।

बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property)

- किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कापीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदि को कहते हैं। बौद्धिक सम्पदा के उपयोग का नियंत्रण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर के भौतिक सम्पदा की तरह कर सकते है।
- इस प्रकार बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के कारण उसकी सुरक्षा होती है और लोग खोज तथा नवाचार के लिये उत्साहित रहते हैं। बौद्धिक संपदा कानून के तहत, अमूर्त संपत्ति जैसे कि संगीत, वाद्ययंत्र साहित्य, कलात्मक काम, खोज और आविष्कार, शब्दों, वाक्यांशों, प्रतीकों और कोई डिजाइन शामिल है।

बौद्धिक संपदा सूचकांक

- 7 फरवरी, 2019 को यू. एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपटी सेंटर द्वारा 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक (International IP Index), 2019 का प्रकाशन।
- इस वर्ष के सूचकांक की थीम- 'प्रेरणादायक कल' (Inspiring Tomorrow) था।
- अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत 16.22 अंकों के साथ 36वें स्थान पर रहा।
- जबकि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 44वें स्थान पर था।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- पारंपरिक तथा आधुनिक ज्ञान के संरक्षण के लिए विकसित व विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार एक केंद्रीय मुद्दा बन गया है। इस कथन के संदर्भ में भारत द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

